न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–485/17 ((RCMS No. 2017/00516) 18 आयुध अधिनियम 1959)

रामस्वरूप शर्मा पुत्र किशोरी लाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खैमरी हाउस भायलापुरा हिण्डौन सिटी हाल निवासी खैमरी हाउस कोतवाली रोड डी.एस.पी. आफिस के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 16.03.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 07 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेश के चरण संख्या 2 में यह दर्ज किया था कि जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नही है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा। अपीलान्ट इस आदेश से पूर्व ही राजस्थान से बाहर तीर्थ यात्रा पर चला गया था और चुनाव सम्पादित होने के बाद वापस लौटकर आयाथा । इस कारण अपीलान्ट को शस्त्र जमा कराने की आवश्यकता नही थी। अपीलान्ट ने गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में अदालत तहत के शस्त्र जमा कराने बाबत आदेश पर दिनांक 23.05.15 को अपनी बन्दूक थाना हिण्डोन में जमा करा दी थी। अपीलान्ट ने हमेशा आदेशों की पालना की है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनुज्ञापत्र को अग्रिम आदेश तक निलम्बित कियाथा जबकि शस्त्र अनुज्ञापत्र को निश्चित अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है। पुलिस अधीनक्षक करौली ने अपने पत्रांक 15.06.16 से अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाली करने की थानाधिकारी हिण्डोन की रिपोर्ट पर बहालीकरण करनेकी अनुशंसा की थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश कमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीनस्थ करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 07 पर दर्ज है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 9356 दिनांक 29.12.2014 में यह आदेश निम्न पर लागू नही होगा : के बिन्दु सं0 2 में यह उल्लेख है कि ''जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नही है, उन पर यह आदेश लागू नही होगा।'' अपीलान्ट का कथन है कि वह तीर्थ यात्रा पर बाहर गया हुआ था। चुनाव के दौरान हिण्डौन में नही था। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र को दिनांक 23.05.2015 को थाना हिण्डौन सिंटी में जमा करा दिया था। जिसकी रसीद की फोटोप्रति अपीलान्ट ने अपील के साथ पेश की है। पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 3507 दिनांक 15.06.16 से अपीलान्ट के हथियार अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1650 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 07 थाना कोतवाली हिण्डौन शस्त्र 12 बोर दुनाली की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official